संख्या- 17 /2019/ 1942/अडतीस-7-2019-28नरेगा/19

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 16 अगस्त, 2019**

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत रू0 74600.36 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्गत रू0 44687.00 लाख का समायोजन करते हुए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशिका में निहित व्यवस्थानुसार शासनादेश संख्या-706/अडतीस-7-2019-17नरेगा/2019टीसी दिनांक: 15-03-2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-13के लेखा शीर्षक "4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-02-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना-0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना(के-60/रा.40-के+रा)-42-अन्य व्यय" में निर्गत रू0 47672.00(रूपये चार अरब छिहत्तर करोड बहत्तर लाख मात्र) की स्वीकृति निर्गत की गई, जिसके सापेक्ष रू0 44687.00 लाख की धनराशि आहरित की गई थी और अवशेष धनराशि रू0 2985.00 लाख समर्पित की गई। मनरेगा योजना के अन्तर्गत प्रथम भाग की तृतीय किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 74600.36 लाख के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू0 2,48,66,78,666.00 (रूपये दो अरब अडतालीस करोड छाछठ लाख अठहत्तर हजार छः सौ छाछठ मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रू0 9,94,67,14,666.00(रूपये नौ अरब चौरान्नबे करोड सडसठ लाख चौदह हजार छः सौ छाछठ मात्र) में से समायोजित करते हुए अवशेष केन्द्रांश व उसके समतुल्य राज्यांश 1/3 सहित कुल धनराशि रू0 5,47,80,14,666.00 (रूपये पांच अरब सैंतालिस करोड अस्सी लाख चौदह हजार छः सौ छाछठ मात्र) (केन्द्रांश + राज्यांश) वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2. इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
3. प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। आंकडों की शुद्धता व योजना की फण्डिंग पैटर्न सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
5. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि पर बैंक द्वारा अब तक अर्जित ब्याज का व्यय/उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/ अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित मदों में तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र/स्वीकृत आदेश दिनांक 05-08 -2019 की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
9. धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक: 22 मार्च, 2019 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक लेखानुदान की अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-02-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना-0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना(के-60/रा.40-के+रा)-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-यूओ-ई-2-584 /दस-19 दिनांक 16 अगस्त, 2019 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-17/2019/1942(1)/अइतीस-7-2019 तददिनांकः-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, एमजीनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. राज्य योजना आयोग-1/2
10. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।